

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-72/2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादिनी- श्रीमती नीलम चौहान, ग्राम मांडो, भटवाड़ी उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक-17/08/2023

निर्णय का दिनांक- 27/09/2023

:: निर्णय ::

परिवादिनी श्रीमती नीलम चौहान, ग्राम मांडो, भटवाड़ी उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17/08/2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र नए संयोजन से संबंधित है, जिसमें परिवादिनी ने कहा है कि उसने कई दिन पहले नए संयोजन के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें संयोजन निर्गत नहीं किया जा रहा है। परिवादिनी ने मंच से कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 144/2023/वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम/दिनांक- 17/08/2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक-28/08/2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-555/वि0वि0उ0ख0उ0/दिनांक-25/08/2023 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई। इसमें विपक्षी विभाग ने अवगत कराया कि परिवादिनी ने रजिस्ट्रेशन संख्या 53427072305 के माध्यम से अपने निवास पर नए संयोजन के लिए आवेदन किया है। उक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद अवर अभियंता ने अवगत कराया है कि उक्त भवन पर पूर्व में आवेदनकर्ता के पति श्री चंद्रवीर सिंह के नाम से विद्युत संयोजन संख्या यूके11401017435 है, जिसमें कि माह 05/2017 में बकाया धनराशि रुपये 58961.00 (अट्ठावन हजार नौ सौ इकसठ) होने के कारण अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था, जो कि आज तक जमा नहीं किया गया है। अवशेष बीजक होने के कारण उक्त भवन पर नया संयोजन दिया जाना संभव नहीं है। अवशेष बीजक के भुगतान के बाद ही नया संयोजन निर्गत किया जाना संभव होगा।

विपक्षी
27/09/23

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi
तकनीकी सदस्य
27/09/23

Kus Prasad
27/09/23
Page 2 of 1
72/2023

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

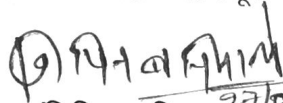
विद्युत उपभोक्ता शिकायत

इस परिवाद की सुनवाई दिनांक-28/08/2023, 28/09/2023 और दिनांक-27/09/2023 को की गई। परिवादिनी ने अपने परिवाद की स्वयं पैरवी की, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से उपखंड अधिकारी आयुष रावत व एसडीसी विनोद चौहान ने मंच के सम्मुख उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान परिवादिनी ने फोन पर पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व में उनके पति श्री चंद्रवीर सिंह चौहान ने जब मंच में परिवाद दायर कर विभाग से अपने उपरोक्त विद्युत संयोजन पर बकाया की स्थिति के बारे में पूछा था, तो विभाग ने लिखित जवाब में कोई भी बकाया बिल न होने की जानकारी दी थी, लेकिन अब विभाग रुपये 58961.00 (अट्ठावन हजार नौ सौ इकसठ) के अवशेष बीजक की जानकारी दे रहा है। इसके जवाब में विपक्षी विभाग ने स्वीकार किया कि पूर्व में त्रुटिवश अवशेष बीजक के संबंध में गलत जानकारी दी गई थी, जबकि असल स्थिति ये ही है कि उपरोक्त संयोजन पर रुपये 58961.00 (अट्ठावन हजार नौ सौ इकसठ) का अवशेष बीजक है। मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आगाह किया गया कि वह कोई भी जानकारी उपलब्ध कराते वक्त पर्याप्त सावधानी बरते और गलत जानकारी कतई न दे।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादिनी ने जिस स्थल पर नए संयोजन के लिए आवेदन किया है, वहां पर उनके पति श्री चंद्रवीर सिंह चौहान के नाम से संचालित विद्युत संयोजन संख्या यूके11401017435 पर रु0 58961.00 (अट्ठावन हजार नौ सौ इकसठ) का अवशेष बीजक है, जिसका भुगतान किया जाना है। अवशेष बीजक के भुगतान के बगैर उक्त स्थल पर नया संयोजन निर्गत करना संभव नहीं है। अतः यह परिवाद स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

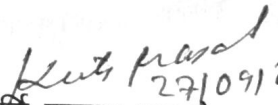
परिवादिनी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एन0के0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी